य भूमिलेख अधिकारी (उपखण्ड ...

अप्रार्थीगण
... भैरूसिंहजी जाति राजपुरोहित
... (राज0) वगैरा

न्यायालय भू0अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 39/2019 Gcms No. 2019/00226

दायरा तिथि : 22.07.2019

आदेश तिथिः 13–10–2022

प्रार्थीगण :–

1. बंशीलाल पुत्र लालसिंहजी जाति राजपुरोहित
2. देवीसिंह पुत्र दानसिंहजी जाति राजपुरोहित
3. जोगसिंह पुत्र श्री धुलसिंहजी जाति राजपुरोहित
4. भॅवरसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी जाति राजपुरोहित
5. हिन्दुसिंह पुत्र बालुसिंहजी जाति राजपुरोहित
   निवासीगण बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पोकरसिंह पुत्र श्री भैरूसिंहजी जाति राजपुरोहित
2. पृथ्वीराजसिंह पुत्र पोकरसिंहजी जाति राजपुरोहित
3. सुमेरसिंह पुत्र पोकरसिंहजी जाति राजपुरोहित (**Deleted Dated 11.12.2019**)
4. चंदनसिंह पुत्र पोकरसिंहजी जाति राजपुरोहित
   निवासीगण बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री भंवरलाल वैष्णव .... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अय्युब अली .... अभिभाषक अप्रार्थी पक्ष की ओर से से
3. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार ....पैरोकार सरकार

दिनांक 13–10–2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम बारवा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 890 तथा खसरा नंबर 889 के बीच में भू0प्रबन्ध पुर्व के नक्शे में दर्ज स्थिति के अनुसार बारवा के गत् खसरा नंबर 741 व 738 के बीच में दर्शित गत् खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती के माध्यम से हाल खसरा नंबर 890 तथा खसरा नंबर 889 के बीच में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो की कृषि भूमियो तक पहुॅच के लिये लुनावा–बारवा नदी से खसरा नंबर 734 से शुरू होकर खसरा नंबर 564 तक किनारे के सभी खातेदारो का रास्ता बारवा के गत् खसरा नंबर 639 बतौर गै.मु. रास्ता रेकर्ड में भी दर्ज था, तथा राजस्व नक्शे में भी गत् खसरा नंबर 741 व 738 के बीच में दर्ज था। भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा गत् रेकर्ड से नया रेकर्ड संधारण करते समय गत् खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता की भूमि को दोषपुर्ण तरीके से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि गत् खसरा नंबर 741 से बने हाल खसरा नंबर 890 में मर्ज कर दिया गया, तथा भू0प्रबन्ध बाद के नक्शे से गैर मुमकीन रास्ता को विलोपित कर दिया। राजस्व रेकर्ड वर्तमान नक्शे से रास्ता विलोपित कर देने से अप्रार्थीगण द्वारा कदीम से चले आ रहे उक्त रास्ता में अवरोध कर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान् को अपनी कृषि भूमि तक जाने में कठिनाई हो रही है। अतः दुरस्ती के जरिये भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड के अनुसार बारवा के हाल खसरा नंबर 890 तथा खसरा नंबर 889 के बीच में राजस्व नक्शे में पुर्व की स्थिति के अनुसार गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य फोटो कांपी गत् नक्शा ट्रैस, फोटो कांपी मिलान क्षैत्रफल, फोटो कॉपी हाल नक्शा ट्रैस की प्रतियॉ प्रेश की गई। तथा साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा कदीमी रास्ता को मौके पर अवरूद्व करने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 133 सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एवं उस पर तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् रिपोर्ट की प्रति भी पेश की गई। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या–03 दीगर अप्रार्थीगण का भाई होने तथा तामील नहीं होने से वकील प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण के चलते एक प्रार्थना आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या–03 का नाम प्रार्थना पत्र शीर्षक से हटाये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 11.12.2019 से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये अप्रार्थी संख्या–03 का नाम प्रार्थना पत्र शीर्षक से हटाये जाने के आदेश दिये गये।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 39/2019 Gcms No. 2019/00226
अनवान बंशीलाल वगैरा बनाम पोकरसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 ने अपने अधिवक्ता श्री अय्यूब अली के माध्यम से दिनांक 26.02.2020 को प्रार्थना पत्र का पैरावाईज जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के समय ग्राम बारवा के गत् खसरा नंबर 741 व 738 की माठ के मध्य कोई रास्ता मौके पर नहीं था तथा इसी कारण भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा नया रेकर्ड संधारण करते समय नये हाल नक्शा में ग्राम बारवा के हाल खसरा नंबर 890 तथा 889 के बीच में कोई रास्ता नहीं दर्शाया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बारवा के हाल खसरा नंबर 881 से 883 तक पहुँच के लिये ग्राम बारवा से खसरा नंबर 949 डामर सडक का उपयोग कदीम से कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से गलत तथ्य प्रकट करते हुये दुरस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे। अपने जवाब में विशेष कथन उल्लेखित करते हुये निवेदन किया कि गत् खसरा नंबर 741 व 738 के मध्य गत् खसरा नंबर 639 का रास्ता मौके पर गत् 60–70 वर्षो से अधिक समय से नहीं था तथा मात्र गत् सैटलमेंट के पहले नक्शा ट्रैस में रास्ता बताया हुआ था परन्तु मौके पर कभी कदीम से रास्ता नहीं होने से ही मौका स्थिति के अनुसार गत् सैटलमेट में रास्ता दर्ज नहीं किया। एवं मौके पर कदीम से रास्ता नहीं होने से ही प्रार्थीगणद्वारा गत् सैटलमेंट के बाद करीब 39 वर्ष तक उक्त नये रेकर्ड में रास्ता नहीं होने के सबंध में कानून उजर आपत्ति नहीं की गई एवं न ही खसरा नंबर 906 से 924तक के खातेदारान् द्वारा भी उजर आपत्ति की गई। मौके पर रास्ता हाल खसरा नंबर 910 व 949 का रास्ता लुणावा नदी से लेकर बारवा गॉव में आने के लिए डामर रोड किया हुआ है, जिस रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण अपने घर से डामर रोड खसरा नंबर 949 के जरिये अपनी खातेदारी आराजी में आते– जाते है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानून परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में अप्रार्थी पक्ष द्वारा मौके का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया। तथा पुखराज, बिहारीलाल, जगदीशसिंह, पदमसिंह, सरदारसिंह, रणजीतसिंह के शपथ पत्र भी पेश किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षो के विद्वान् वकुलाय की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो के विद्वान् अधिवक्तागणो द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष श्री भंवरलाल वैष्णव की दलील हैं कि भू0प्रबन्ध **पुर्व के राजस्व नक्शा में बारवा के गत् खसरा नंबर 741 व 738 के बीच में खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता दर्ज था।** जो रास्ता मूल रूप से लुनावा–बारवा नदी से गत् खसरा नंबर 734 से शुरू होकर खसरा नंबर 564 तक कदीम से चल रहा था, जिस रास्ते का उपयोग किनारे के सभी खातेदारो व प्रार्थीगण द्वारा कदीम से किया जाता आ रहा है। भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा नया रेकर्ड संधारित करते समय गत् खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता की भूमि को नक्शे से विलोपित करते हुये अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि गत् खसरा नंबर 741 से बने हाल खसरा नंबर 890 में त्रुटिपुर्ण तौर पर भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा मर्ज कर दिया गया। भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटिपुर्ण कार्यवाही से भू0प्रबन्ध बाद के नक्शे से गै.मु. रास्ता विलोपित होने से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कदीमी रास्ता जो ग्राम बारवा के हाल खसरा नंबर 890 व 889 के बीच में मौजूद था, मौके पर बन्द कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो को अपनी कृषि जोतो तक जाने मे कठिनाई हो रही है, जिसके लिये प्रार्थीगण द्वारा धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी कार्यवाही की गई, जिस कार्यवाही में तहसीलदार, बाली द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये इसका समाधान धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरस्ती के तहत होना बताया है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से हाल नक्शा में गत् नक्शे के अनुसार ग्राम बारवा के हाल खसरा नंबर 890 व 889 के बीच में पुनः रास्ता दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है। इसके विपरित अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अय्यूब अली द्वारा दलील दी जा रही हैं कि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के समय बारवा के गत् खसरा नंबर 741 व 738 के बीच में कोई रास्ता मौके पर नहीं था तथा 50–60 वर्षो से भी कोई रास्ता नहीं था। रेकर्ड में भी प्रथम सैटलमेंट के पुर्व रास्ता दर्ज नहीं था। इसी कारण द्वितीय सैटलमेंट के समय भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा नया रेकर्ड संधारण करते समय नये हाल नक्शा में हाल खसरा नंबर 890 तथा 889 के बीच में रास्ता नहीं दर्शाया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 881 से 883 तक पहुँच के लिये ग्राम बारवा से खसरा नंबर 949 डामर सडक का उपयोग कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत गलत तथ्य प्रकट करते हुये दुरस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत गवर्न नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न गत् नक्शा के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि ग्राम बारवा के गत् खसरा नंबर 741 व 738 के बीच में गत् खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता दर्ज है। तथा गत् नक्शे के अवलोकन से यह भी प्रमाणित हैं कि उक्त रास्ता गत् खसरा नंबर 734 से शुरू होकर गत् खसरा नंबर 564 से आगे तक जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज।

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 39/2019 Gcms No. 2019/00226
अनवान बंशीलाल वगैरा बनाम पोकरसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति में गत् खसरा नंबर 639 के हाल खसरा नंबर बनने का विवरण नहीं है। इसके साथ ही मिलान क्षैत्रफल में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गत् खसरा नंबर 741, 740 मीन के हाल खसरा नंबर 890, 891, 892 बनने की पुष्टि होती है। परन्तु हाल नक्शा के अवलोकन से प्रमाणित हैं कि **हाल खसरा नंबर 890 तथा खसरा नंबर 889 के बीच में भू0प्रबन्ध पुर्व की स्थिति के अनुसार रास्ता नहीं दर्शाया गया है।** पत्रावली पर उपलब्ध गत् व हाल नक्शो के अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गत् राजस्व नक्शा में रास्ता खसरा नंबर 734 से शुरू होकर गत् खसरा नंबर 564 से आगे तक जाता है। जबकि भू0प्रबन्ध बाद के नक्शा में रास्ता हाल खसरा नंबर 905 से शुरू होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि **हाल खसरा नंबर 890 से विलोपित कर दिया तथा** जैसे ही अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खत्म हुई उसके आगे पुर्व की स्थिति अनुसार हाल खसरा नंबर 724 तक कायम रखा गया। इस प्रकार पुरे रास्ते मेंसे **मात्र अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 890 व 889 के बीच के रास्ते को भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा विलोपित किये जाने की पुष्टि** होती है। अप्रार्थीगण द्वारा इसके खण्डन स्वरूप कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृट्या भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षैत्र से परे जाकर गत् नक्शे के अनुसार हाल नक्शा में ग्राम बारवा के हाल खसरा नंबर 890 व 889 के बीच में रास्ता में दर्ज नहीं कर विधिक भूल की है। तथा उक्त त्रुटिपुर्ण कार्यवाही से अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर रास्ता को बंद किया गया है, जिससे प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो को अपनी भूमि तक पहुॅचने में व्यवधान होने से गत् नक्शे के अनुरूप हाल नक्शा में भी खसरा नंबर 890 तथा 889 के बीच में रास्ता दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड में तथा राजस्व नक्शे में दर्ज ग्राम बारवा के गत् खसरा नंबर 639 गै.मु. रास्ता को भू0प्रबन्ध बाद के रेकर्ड व राजस्व नक्शे से विलोपित कर हाल खसरा नंबर 890 में जो रकबा मर्ज किया गया है, उसको दुरस्ती के माध्यम से पुनः पुर्व के नक्शे की स्थिति अनुसार **हाल खसरा नंबर 890 व 889 के बीच में बतौर गै.मु रास्ता राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये** जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते का रकबा पुर्व के अनुसार ही रहेगा, तथा इसके नये तरमीमी नंबर कायम होकर राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में भी तरमीम शुद्धि तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा सुनिश्चित करेगें। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(...)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
बाली,जिला-पाली (राज) भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 13-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)